

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया


पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-13/2026

जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. गुरजन्त सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।



प्रतिवादीगण यह. राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई करुबरे हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी भिन जामिन मुदई श्री कुलदीप सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगी दी जाती है:- वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.301 है. कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 को 0.2165 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर वादी का हिस्सा कम किये जाने व इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 155/42 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.970 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने एवं इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 70/94 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2/3 हिस्सा अर्थात् 1.5186 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने तथा इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 51/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.542 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काशतकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.01.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
महावीर बेरड
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया